काम के अधिकार के बारे में। हम सब यह मानते हैं कि काम का अधिकार एक दिन में नहीं लाया जा सकता लेकिन हमने इस बात का वादा किया है तो देश को और प्रशासन को इसके लिए तैयार करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं? **(व्यवधान)**

माननीय सदस्य: देश तैयार है।

प्रो० मधु दण्डवते: हम भी तैयार हैं। सवाल आप से नहीं पूछा, दुर्भाग्य से मुझ से पूछा इसलिए मुझे जवाब देने दीजिए। सभापति जी, उन्होंने जो सवाल दोहराया है उस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि इसी सदन में मैं पहले भी बता चुका हूं कि राइट टु वर्क मौलिक अधिकार बनने के बाद एक जस्टिसेबल राइट बनता है। जिसे काम नहीं दे सकते हैं अगर वह कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि उन्हें काम दीजिए और नहीं तो उन्हें एम्पलायमेंट एलाउंस दीजिए। यह ध्यान में रखकर संविधान में तबदीली करने के पहले रोजगार बढ़ाने के काम में हम लगे हुए हैं। हम लोगों ने प्रथम कदम यह उठाया है कि देहाती इलाकों में लोगों को रोजगार देने के काम में ज्यादा अवसर दें। **(व्यवधान)** सुनने के बाद दूसरा प्रश्न पूछिये। मैं झट जवाब दूंगा।

मेरा सुझाव प्रावधान करने वाले पर है। जब मैं सवाल का जवाब दूं और अगर सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं है तो पूरक प्रश्न पूछें में पूरक उत्तर दूंगा।

श्री सभापति: अभी तो आपका जवाब हो गया?

प्रो० मधु दण्डवते: मैं यह बता रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम है इसी प्रकार एक्सपेंडिड एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम जिन क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है वहां पर कार्यान्वित करने के बाद हम रोजगार का पोटेंशियल बढ़ायेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम बढ़ायेंगे। यह होने के बाद राइट टु वर्क एक मौलिक अधिकार बन सकता है। इसकी तैयारी हमारी शुरू हो रही है।

श्री सभापति: सिर्फ बैकवर्ड एरिया में करेंगे या पूरे देश में करेंगे? महाराष्ट्र तो पिछड़ा हुआ नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते: जैसा मैंने पहले बताया किसी न किसी क्षेत्र में शुरुआत करनी होगी। हम लोगों ने एलान किया है कि ड्राउट प्रोन एरियाज जहां गरीबी ज्यादा है ऐसे क्षेत्रों में एक्सपेंशन आफ स्कीम पहले शुरू करेंगे।

बीयर और विलायती शराब बनाने के लिए आशय पत्र प्रदान किया जाना

*322. **श्री अशोक नाथ वर्मा:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कंपनियों/फर्मों/व्यक्तियों के नाम, क्या हैं जिन्हें उत्पादन की नयी क्षमता के सृजन हेतु ढील दिये जाने के बाद बीयर और विलायती शराब बनाने के लिए लगभग 2 वर्ष पूर्व आशय पत्र प्रदान किये गये थे, प्रत्येक कंपनी के लिए कितनी क्षमता मंजूर की गई है और किन-किन राज्यों में इस प्रकार के एकक लगाये जाने की संभावना है; और

(ख) उन कंपनियों/फर्मों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके इसी प्रकार के प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हुए हैं?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) एक सूची अनुबंध में संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) 30.4.1990 की स्थिति के अनुसार बीयर अथवा पोटेबल शराब के लिए लगभग 1059 आवेदन लम्बित हैं। क्योंकि ऐसी सूचना इकट्ठी करने में कुछ और समय लगेगा अतः लम्बित आवेदनों की सूची इकट्ठी की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुबंध

क्रम सं०	नाम	मद	स्थापना स्थल
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	पोटेबल आई० एम० एफ० एल० उत्तर प्रदेश प्रेड से पोटेबल शराब	
2.	प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि०	पोटेबल शराब	उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	नाम	मद	स्थल
3.	रामपुर डिस्ट्रिलरी एंड कैमिकल कंपनी लि०	माल्ट स्प्रिट	उतर प्रदेश
4.	हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	सेब का आसव	हिमाचल प्रदेश
5.	हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	आई० एम० एफ० एल०	हरियाणा
6.	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	रैक्टिफाइड स्प्रिट	केरल
7.	जगतजीत इंडस्ट्रियल लि०	वाइन और शराब सहित आई० एम० एफ० एल०	पंजाब
8.	अनिल पुत्र प्रह्लाद दास राठी	आई० एम० एल० एफ० ई० एन० ए० (पोटेबल शराब)	मध्य प्रदेश
9.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	सेब का आसव	जम्मू तथा कश्मीर
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	गैर सीरे पर आधारित पोटेबल शराब	जम्मू तथा कश्मीर
11.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	बीयर	जम्मू तथा कश्मीर
12.	डा० के० टी० बी० मैनन	बीयर	कर्नाटक
13.	एच० एस० दमानिया	बीयर (माइल्ड लेजर)	दमन और द्वीव
14.	हैदराबाद डिस्टिलिरीज एंड वाइनरीज लि०	आई० एम० एफ० एल०	आंध्र प्रदेश
15.	जगतजीत इंडस्ट्रिज लि०	आई० एम० एफ० एल०	उत्तर प्रदेश

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, the whole Government seems to be drunk today!

श्री अशोक नाथ वर्मा: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर प्रदेश में जो बताया है उसको देखने से ऐसा लगता है कि राजस्थान के कुछ उद्योगों को छोड़ कर आपके सारे अलकोहल उद्योग बड़े उद्योगों के हाथ में हैं। देश में कई राज्यों में दूरदराज के इलाकों में अंगूर का उत्पादन काफी होता है जहां छोटे-छोटे उद्योगों को उत्साहित किया जा सकता है। इस संदर्भ में सरकार की क्या नीति है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, इस योजना के अन्तर्गत यानी 88 में फिर मे नये लाइसेंस देने का काम शुरू हुआ और जो आवेदन है उनकी बहुत बड़ी संख्या नान मालेसेज—जैसे अल्कोहल, बीयर बनाने के लिए—618 बीयर की एप्लीकेशंस हमारे पास हैं और 441 अलकोहल बनाने के लिए हैं। इतनी बड़ी संख्या है कि इस को छांटने में लगे हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने कहा है हमारा मकसद भी यही है कि जो किसानों का उत्पाद है उनको उसका वाजिब दाम मिले और ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा हों इसलिए बीयर और अल्कोहल के प्लांट्स खोलने का और एक्सपेंड करने का और नये प्लांट्स खोलने का हम लोगों का इरादा है और हम इस काम में लगे हुए हैं।

डा० बापू कालदाते: इसके लिए तो आपको पीने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।

श्री अशोक नाथ वर्मा: क्या यह बात सच है कि बीयर और विलायती शराब के उद्योग के लिए लेटर आफ इंटेंड मिलने के लिए जो नार्म्स और कन्डीशन्स

बनाये गये हैं वे छोटे उद्योगों के लिए हानिकारक हैं, उनके विरुद्ध हैं? अगर यह बात सही है तो नार्म्स और कन्डीशन्स को बदलने के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं?

श्री शरद यादव: ऐसा कोई मामला नहीं है ...**(व्यवधान)**। इस सवाल पर मैं शर्माया हुआ हूं, इसलिए ज्यादा जवाब नहीं देना चाहता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: सभापति जी, मंत्री जी के जबाब से ऐसा लगता है कि वे एक्सपेंशन करना चाहते हैं। लगता यह है कि नशाबन्दी को खत्म करने की सरकार की नीति है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी नीति बनाई है कि नशाबंदी पूरी खत्म करके और ज्यादा ठेके देने की है या नहीं है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, यह तो बड़ी बात है, पालिसी मेटर की बात है। मैं यह सोचता हूं और जो जानकारी मुझे बीयर पीने वाले मित्रों से मिली है, उन्होंने बताया है कि बीयर में एलकोहल की मात्रा कम होती है और वह किडनी के लिए फायदेमंद है ... **(व्यवधान)**।

श्री प्रमोद महाजन: मंत्री जी का उत्तर आपत्तिजनक है। यह तो बीयर का प्रसार हो रहा है।

श्री सभापति: यह उनकी अपनी राय है ...**(व्यवधान)**।

श्री शरद यादव: मैंने तो जो सुना है वह कह रहा हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: वे पीने के बाद अपनी राय दें और तब बोलें ...**(व्यवधान)**।

श्री शरद यादव: सभापति जी, यशवन्त जी के अनुभव से मैंने यह बातें पता लगाई थीं यानी मेरे जो मित्र लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा। माथुर जी ने जो प्रश्न पूछा है वह तो सम्पूर्ण नशाबंदी बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल इस, प्रश्न से उठता नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आपने कहा है कि इसको बढ़ाएंगे।

श्री सभापति: वे तो उद्योग को बढ़ाएंगे, पीने वालों को कम करना आपका काम है।

चौधरी हरमोहन सिंह: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनके पास जो दर्खास्तें आई हैं उनमें से कितने फीसदी किसानों के उत्पाद के संबंध में आई हैं, इनको लायसेंस देने के संबंध में आई हैं?

श्री शरद यादव: सभापति जी, बीयर और एलकोहल के नये लायसेंस दिये जा रहे हैं। ये सारी चीजें आलू, बारले, ज्वार, चुकन्दर, टूटे चावल, सड़े हुए गेहूं और ग्रेप्स आदि जो उत्पाद किसान करते हैं उन चीजों से बनेंगे और उनको ही यह लायसेंस मिलेंगे। नान-मोलेसस जो आइटम्स हैं उन पर मिलेंगे।

चौधरी हरमोहन सिंह: कितने फीसदी किसानों को लायसेंस दिये जाएंगे?

श्री शरद यादव: मैंने इनको छांटा नहीं है। जितने भी किसानों ने मांगे हैं बीयर और एलकोहल के, उनको दिये जाएंगे।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, this is one of the the high profit-making industries. The hon. Minister also wants to give good prices to the farmers. From the list I see that out of 15, 7 have been given to State Industrial Corporations, i.e., public sector units. As I said, this is a high profit-making industry. The Government will give licences only to public sector undertakings so that the resources can be mopped up. This can also help the plan of the State and farmers can get better price. As there are about 1000 and odd applications, it will be easy for the Government to take a decision that henceforth it will be given only to State Corporations so that the State will benefit and farmers will also be benefited. Will the Government consider this?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय देसाई जी ने जो कहा है, हमारी जरूर यह कोशिश रहेगी कि जो कोआपरेटिव सेक्टर हैं, कौरपोरेट सेक्टर में इस मामले में जितनी दरखास्तें होंगी हम प्रेफर करेंगे कि उनको ज्यादा मिले। लेकिन यह बात नहीं है कि दूसरे लोगों को यह नहीं मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: Question No. 322A.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है।

श्री सभापति: क्या?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्वेश्चन होना चाहिये 324। मालवीय जी नहीं हैं इसलिये मैं कह रहा हूं।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: My question has been transferred and now it has appeared as 322A. So, it has to be taken up in the order in which it has been slated.

Withdrawal of special incentives and concessions for setting up industrial units in the backward areas

@*322A. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:†
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 662 given in the Rajya Sabha on the 14th May, 1990, and state the reasons for withdrawing the special fiscal incentives and concessions hitherto extended for setting up of industrial units in the industrially backward and no-industry areas as distinct from general incentives for setting up new industries in any part of the country which were purported to ensure accelerated development of backward areas to bring them into the main stream of development?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): Government is of the view that the reduction in corporate and registered firm tax rates, liberalisation of the tax incentive for setting up a new industrial undertaking and the reintroduction of the Central Investment Subsidy Scheme for rural and backward areas, provide adequate fiscal incentives for setting up industrial undertakings in backward and rural areas. There is, therefore, no case for any furter tax concession for this purpose.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, I welcome the change of the Minister.

MR. CHAIRMAN: Change of the Minister?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, it was originally listed against the Ministry of Industry and now it has been transferred to the Finance Ministry and I welcome the change. The question rightly falls in his jurisdiction.

MR. CHAIRMAN: Anyway, both of you are Maharashtrians, does not make any difference.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Now, Sir, I am totally dissatisfied with the answer because this raises very very basic issues, particularly when the Prime Minister is pledged to a fiscal policy continuously for a certain period of time, in fact, when he became the Finance Minister, I remember, all of us welcome his saying that the fiscal policy regarding taxation and other things should continue for a period of five years. Now suddenly you are withdrawing the concessions, particularly for industries which are to be set up in backward areas, in no-industry areas. These are not the general incentives, and this sudden withdrawal causes untold hardship. More than that, it affects the credibility of the Government. Whatever alternative schemes you may have, but those whose projects are in the pipeline are the worst sufferers. Could the Finance Minister not give some notice, say of two to three years, before suddenly putting an end to these incentives?

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, I am happy that the hon. Member is happy that it is transferred in my name, but he is unhappy over the way in which I have answered, I will try to satisfy him.

Firstly, we have not acted in an arbitrary manner. We try to take

---

(@ Previously Starred Question 363 transferred from the 28th May, 1990.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare.